# न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –47/14
तारीख रजू – 26.09.2014

**उनवान**

1. श्रीमति रामपति उम्र 60 वर्ष पत्नि स्वर्गीय हरिप्रसाद
2. जवाहरलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र मेवालाल
3. राजवीर उम्र 45 वर्ष पुत्र मेवालाल
4. मुकेश उम्र 40 वर्ष पुत्र मेवालाल
5. श्रीमति सुशीला देवी उम्र 70 वर्ष स्वर्गीय मेवालाल

समस्त जति ब्राहमण निवासी भण्डारी अन्दरूनी तहसील टोडाभीम जिला करौली

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. रामदयाल उम्र 75 वर्ष पुत्र बालाराम जति ब्राहमण निवासी भण्डारी अन्दरूनी तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. तहसीलदारजी तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम जिला करौली

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा**

**उपस्थिति**

**श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – प्रार्थीगण (वादीगण)**

**श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट – अप्रार्थी नं0 1**

**निर्णय** **दिनांक :– 16.03.2016**

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0 नं0 444 रकवा 0.72 हेक्टयर, 446 रकवा 0.01 हेक्टयर, 447 रकवा 0.75 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 1.48 हेक्टयर ग्राम राजौर तहसील टोडाभीम मे स्थित है तथा भूमि ख0 नं0 1007 रकवा 0.56 हेक्टयर कुल किता 01 कुल रकवा 0.56 हेक्टयर ग्राम भण्डारी अन्दरूनी तहसील टोडाभीम मे स्थित है। इस भूमि मे प्रार्थी नं0 1 रामपति हिस्सा 1/3, प्रार्थी नं0 2 ता 5 हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी नं0 1 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है लेकिन रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे अकेले अप्रार्थी के नाम खातेदारी गलत व अवैध रूप से दर्ज है। उक्त भूमि स्थित ग्राम राजौर का गत खसरा नं0 158 रकवा 5 वीघा 17 बिस्वा है तथा भूमि स्थित ग्राम भण्डारी अन्दरूनी का गत खसरा नं0 115 रकवा 2 वीघा 4 बिस्वा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 का सजरा निम्न प्रकार है– बालाराम के तीन पुत्र रामदयाल, मेवालाल, हरिप्रसाद तथा पत्नि

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मूली है। मूली, मेवालाल, हरप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, रामदयाल जीवित है मेवालाल के पुत्र जवाहरलाल, राजवीर, मुकेश व पत्नि सुशीला है तथा हरिप्रसाद की पत्नि रामपति है चूकि रामदयाल बडा पुत्र था तथा परिवार का कर्ताधर्ता था इसलिये माता मूली, बालाराम की मृत्यु के बाद रामदयाल बडा पुत्र होने के कारण अकेले उनके नाम खातेदारी हो गई है जबकि मूली बेवा बालाराम, बालाराम की मृत्यु के बाद खातेदारी विरासत के आधार पर तीनो पुत्र रामदयाल, मेवालाल, हरिप्रसाद के नाम होनी चाहिये थी तथा पुराने रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे भी भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण की सास, दादी मूली व बालाराम के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण अपने हिस्सा 2/3 को अपने बुजुर्गो के समय से निरतंर आज तक काश्त करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी नं0 1 हिस्सा 1/3, प्रार्थी नं0 2 ता 5 हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी नं0 1 हिस्सा 1/3 के खातदेार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण अपने हक मे खातदेारी कराने के हकदार है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये अप्रार्थी नं0 1 की तरफ उनके वकील उपस्थित हुये तथा न्यायालय मे जबाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी नं0 2, 3 बाबजूद तामील उपस्थित नही हुये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि यह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी भूमि है जो उनको अपने बुजुर्गे बालाराम, मूली से विरासत मे मिली है तथा रिकार्ड जमाबंदी मे बालाराम व मूली ब्राहमण के नाम दर्ज है तथा मूली के तीन पुत्र रामदयाल, मेवालाल व हरप्रसाद है तथा मेवालाल व हरप्रसाद के प्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाये। अप्रार्थी सं0 1 के वकील ने बहस मे निवेदन किया कि यह भूमि रामदयाल की भूमि है तथा पुश्तैनी भूमि नही है तथा प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है तथा अप्रार्थी के नाम इस भूमि की खातेदारी दर्ज है तथा यह भूमि माफी मन्दिर की है इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा दोनो वकीलो की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केश व अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खिलाफ अप्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 1 को पांबद किया जाता है कि वे उक्त भूमि के संबंध मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं0 1 उक्त भूमि को रहन विक्रय आदि नही करें तथा अप्रार्थी नं0 2, 3 रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

उपखिला कलक्टर
वेडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner